प्रेस नोट **पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद** **दिनांक 07.05.2025**

थाना लोनी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 07.05.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. अनस उर्फ आरिस पुत्र नूर हसन निवासी ठेके वाली गली खन्ना नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष 2.दिलशाद पुत्र अली हसन निवासी मदीना मस्जिद के पास अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष को निठौरा रोड अण्डरपास चौकी क्षेत्र अशोक विहार से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से चोरी की गई 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना लोनी पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों आपस में दोस्त हैं। कुछ दिन पहले हम दोनों मिलकर यह मोटरसाइकिल थाना ट्रोनिकी सिटी क्षेत्र से चोरी की थी। आज हम इसे बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. अनस उर्फ आरिस पुत्र नूर हसन निवासी ठेके वाली गली खन्ना नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

2.दिलशाद पुत्र अली हसन निवासी मदीना मस्जिद के पास अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त वाहन चोरी के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उक्त चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा अपहरण कर मारपीट की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

दिनांक 06.05.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी के लडके शाहरुख उम्र करीब 18 वर्ष को ईशू उर्फ मोहित, बोनची उर्फ आशीष व अनमोल पुत्र जितेन्द्र मिश्रा द्वारा गाडी में डालकर अपहरण कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 140(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपहर्त की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अपहर्त शाहरुख पुत्र मुन्नेखां निवासी अंजली विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद को बरामद कर लिया गया तथा मेडिकल परीक्षण व अपहर्त के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में 1. ईशू उर्फ मोहित, 2. बोनची उर्फ आशीष, 3. अनमोल, 4. राज पंडित उर्फ राजमा 5. राज पंडित की माँ 6. गोलू व 7. सचिन के नाम प्रकाश में आये तथा धारा 115(2)/61(2) की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 07.05.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त 1. गोलू उर्फ जतिन पुत्र उमेश शर्मा निवासी- डी- 85 रेल विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष 2. अनमोल उर्फ डी0के0 पुत्र जितेन्द्र मिश्रा निवासी ए- 2 डी- 85 रेल विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष को विजय विहार अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि करीब 15-20 दिन पहले हमारी शाहरुख के साथ किसी बात को लेकर मारपीट हो गयी थी जिसका बदला लेने के लिए हमने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर शाहरुख की आँखो पर पट्टी बांधकर उसका अपहरण कर लिया था और उसे एक गाडी में डालकर हम अपने एक साथी सचिन के घर पर ले गये थे। वहाँ पर हमने शाहरुख के हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसके साथ मारपीट की थी और उसे वहीं पर छोडकर भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. गोलू उर्फ जतिन पुत्र उमेश शर्मा निवासी- डी- 85 रेल विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।
2. अनमोल उर्फ डी0के0 पुत्र जितेन्द्र मिश्रा निवासी ए- 2 डी- 85 रेल विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष।

वांछित अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. ईशू उर्फ मोहित
2. बोनची उर्फ आशीष
3. राज पंडित उर्फ राजमा
4. राज पंडित की माँ
5. सचिन

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा डीजे बजाने को लेकर कहासुनी होने पर गोली चलाने वाले एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध तमंचा 0.32 बोर व खोखा कारतूस बरामद।

दिनांक 06.05.2025 को श्री चन्दन सुरी ने सूचना दी की दिनांक 05.05.2025 को भाई की सगाई के प्रोग्राम में डीजे वालों से कुछ कहासुनी हुई थी। जिसके लोकर विराट गुप्ता डीजे का मालिक उसी रात्रि में अपने साथियों के साथ वादी के घर पर आया जिसके द्वारा वादी एवं उसके दोस्तो के साथ मारपीट करते हुये जान से मारने की नियत से डीजे मालिक द्वारा अवैध तमंचा से फायर कर दिया जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। उपरोक्त सूचना पर तत्काल थाना विजयनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण:- उपरोक्त का घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुये, अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीमों का गठन किया, रात्रि चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 05/06.05.2025 की रात्रि में रेलवे स्टेशन के पास गोली चलाने वाला व्यक्ति फ्लाईवर के नीचे किसी के इंतजार में खड़ा है। थाना विजयनगर पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके उस व्यक्ति को मौके पर पकड़ लिया गया। जिसने अपना नाम **अजीत गुप्ता उर्फ चावल पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता निवासी मकान नं0 285, गली नं0 23, सर्वोदय नगर, थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद** तथा कब्जे से एक अवैध तमंचा 0.32 बोर व खोखा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब मेरा विराट साउंड के नाम से डीजे है मेरा डीजे चन्दन सूरी ने अपनी भाई की सगाई के लिए बुक किया था जिसका प्रोग्राम दिनांक 05/05/2025 को था, सगाई के दौरान मेरा विवाद चन्दन सूरी व उनके दोस्त वंशीधर से हो गया था जिसमें मौजूद लोगों बीच बचाव करा दिया गया था जिसके बाद उन्होंने कहा कि घर के पास आकर अपने डीजे के पैसे ले लेना, जिसमें सगाई का कार्यक्रम सम्पन्न होने के उपरान्त मैं अपने डीजे के पैसे लेने के लिए चन्दन सूरी के घर के पास गया। जहां पर उन्होंने मेरे साथ मुंह बहस करनी शुरु कर दी जिसमें मैंने आवेश में आकर अपने तमंचे से वंशीधर के ऊपर के दो गोली चला दी थी और वहां से भाग गया था। जो तमंचा मुझसे बरामद हुआ है यह भी वहीं तमंचा से जिससे मैने फायर किया था। साहब गलती हो गयी।

नाम पता अभियुक्तः -

अजीत गुप्ता उर्फ चावल पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता निवासी मकान नं0 285, गली नं0 23, सर्वोदय नगर, थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

01 अवैध तमंचा .32 बोर , 01 खोखा कारतूस .32 बोर

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुसि टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

साइबर सेल थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 230000/- रूपये की धनराशि वापिस करायी गयी

दिनांक 02.05.2025 को आवेदक श्री रहीसुद्दीन पुत्र श्री निजामुद्दीन निवासी 32 कैला भट्टा गाजियाबाद द्वारा साइबर पोर्टल पर शिकायत सं0-33104250049982 जिसमे आवेदक के साथ मुनाफा कमाने के नाम पर 377750/- रूपये धनराशि लगायी एवं जिसमे आवेदक को न तो रूपये वापस दिये गये व न लाभ मिला। जिसमे आवेदक द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गयी।

कार्यवाही का विवरण

साइबर सेल टीम द्वारा आवेदक रहीसुद्दीन उपरोक्त की शिकायत सं0-33104250049982 पर कृत कार्यवाही कर आवेदक के रूपये जिसमे त्वरित कार्यवाही करते हुए संबधित खाते को फ्रीज कराया गया व आवेदक के दिनांक 06.05.2025 को 230000/- रूपये वापस कराये गये।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम:-

साइबर सेल टीम थाना कोतवाली नगर

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा पुत्र वधू को दहेज के लिए प्रताड़ित करने, जिससे परेशान होकर पुत्र वधू द्वारा आत्महत्या कर लेने के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27.04.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादी की लिखित तहरीर के आधार पर वादी की बहन को नोएडा में एक मकान व कुछ रूपये लाने का दबाव बनाकर प्रताड़ित करने तथा गाली गलौच कर घर से निकालने की धमकी देने तथा षडयंत्र के तहत हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पर धारा 85,80(2) बीएनएस, ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त घटना में दिनांक 28.04.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त मयंक अग्रवाल उर्फ सिंघल(मृतक का पति) पुत्र पवन अग्रवाल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उक्त घटना के क्रम में आज दिनांक 07.05.2025 को पुत्र वधू को दहेज के लिए प्रताड़ित करने, जिससे परेशान होकर पुत्र वधू द्वारा आत्महत्या कर लेने के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त पवन कुमार अग्रवाल पुत्र ज्ञानचन्द निवासी यमुनापुरम निकट पुलिस कन्ट्रोल रूम बुलन्दशहर उम्र करीब 61 वर्ष को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त पवन कुमार अग्रवाल पुत्र ज्ञानचन्द उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त व उसके परिवार ने अपनी पुत्र वधू को नोएडा में 01 मकान व कुछ रूपये लाने का दबाव बनाकर प्रताड़ित किया और गाली-गलौच कर घर से निकालने की धमकी दी। जिसके फलस्वरुप अभियुक्त उपरोक्त की पुत्र वधू ने आत्म हत्या कर ली।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

पवन कुमार अग्रवाल पुत्र ज्ञानचन्द निवासी यमुनापुरम निकट पुलिस कन्ट्रोल रूम बुलन्दशहर उम्र करीब 61 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त पवन कुमार अग्रवाल पुत्र ज्ञानचन्द उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर देहज प्रताडना से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 96,000/- हजार की धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 06.05.2025 को साइबर सेल थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा आवेदक इकरार पुत्र इसलाम निवासी- नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 96,000/- रूपये को आवेदक को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना मसूरी गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से इकरार पुत्र इसलाम निवासी- नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद के साथ 96000/- रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदकों के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 06.05.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशी को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना मसूरी पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी साइबर सेल टीम।